

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर

विद्या परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 11.01.2016 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1. प्रो० अशोक कुमार, कुलपति	अध्यक्ष
2. अधिष्ठाता- कृषि संकाय	सदस्य
3. अधिष्ठाता- वाणिज्य संकाय	"
4. अधिष्ठाता- विधि संकाय	"
5. अधिष्ठाता- शिक्षा संकाय	"
6. अध्यक्ष- संस्कृत विभाग	"
7. अध्यक्ष- हिन्दी विभाग	"
8. अध्यक्ष- अंग्रेजी विभाग	"
9. अध्यक्ष- दर्शनशास्त्र विभाग	"
10. अध्यक्ष- मनोविज्ञान विभाग	"
11. अध्यक्ष- शिक्षाशास्त्र विभाग	"
12. अध्यक्ष- अर्थशास्त्र विभाग	"
13. अध्यक्ष- राजनीतिशास्त्र विभाग	"
14. अध्यक्ष- प्राचीन इतिहास विभाग	"
15. अध्यक्ष- मध्यकालीन इतिहास विभाग	"
16. अध्यक्ष- समाजशास्त्र विभाग	"
17. अध्यक्ष- भूगोल विभाग	"
18. अध्यक्ष- वायु विभाग	"
19. अध्यक्ष- भौतिकी विभाग	"
20. अध्यक्ष- रसायनशास्त्र विभाग	"
21. अध्यक्ष- गणित एवं सांख्यिकी विभाग	"
22. अध्यक्ष, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग	"
23. अध्यक्ष- माइक्रोबायलोजी विभाग	"
24. अध्यक्ष- प्रौढ़ सतत एवं प्रसार शिक्षा विभाग	"
25. प्रो० गणेश प्रसाद पाण्डेय, हिन्दी विभाग	"
26. प्रो० मुरली मनोहर पाठक, संस्कृत विभाग	"
27. प्रो० सी०पी० श्रीवास्तव, दर्शनशास्त्र विभाग	"
28. प्रो० एस०के० दीक्षित, भूगोल विभाग	"
29. प्रो० के०एन० सिंह, भूगोल विभाग	"
30. प्रो० रामबरन पटेल, भूगोल विभाग	"
31. प्रो० विनय कुमार पाण्डेय, वाणिज्य विभाग	"
32. प्रो० श्रीवर्धन पाठक, वाणिज्य विभाग	"
33. प्रो० रवि प्रताप सिंह, वाणिज्य विभाग	"
34. प्रो० शान्तनु रस्तागी, भौतिकी विभाग	"
35. प्रो० ओ०पी० पाण्डेय, रसायनशास्त्र विभाग	"
36. प्रो० नरेश प्रसाद भोक्ता, शिक्षाशास्त्र विभाग	"
37. प्रो० सुमित्रा सिंह, शिक्षाशास्त्र विभाग	"

- |  |      |
|--|------|
| 38. डॉ० के०के० यादव, प्राचार्य, बापू डिग्री कालेज, पीपीगंज, गोरखपुर  | ..   |
| 39. डॉ० अनिल कुमार सिंह, प्राचार्य, महाविद्यालय भटौली बाजार, गोरखपुर | ..   |
| 40. डॉ० जितेन्द्र मिश्र, विधि विभाग                                  | ..   |
| 41. डॉ० लल्लन यादव, भौतिकी विभाग                                     | ..   |
| 42. डॉ० उदय सिंह, शिक्षाशास्त्र विभाग                                | ..   |
| 43. डॉ० कमलेश कुमार गौतम, प्रा० इतिहास विभाग                         | ..   |
| 44. डॉ० विश्व दीपक, गोरखपुर  | ..   |
| 45. डॉ० श्रीमती सरोज श्रीवास्तव, गोरखपुर                             | ..   |
| 46. डॉ० श्रीपाल सिंह, गोरखपुर  | ..   |
| 47. अधिष्ठाता- छात्र कल्याण  | ..   |
| 48. कुलसचिव  | सचिव |

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति ने विद्या परिषद् के सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया गया-

1. (क) परिषद् ने शिक्षा संकाय परिषद् की बैठक दिनांक 17.12.2015 की संस्तुतियों पर विचार किया।

सम्यक् विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने-

- अ. शिक्षा संकाय परिषद् की बैठक दिनांक 28.08.2015 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया।
- ब. शिक्षाशास्त्र विभाग के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 21.11.2015 की संस्तुति (एम०एड० दो वर्षीय पाठ्यक्रम) को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया।

विद्या परिषद् के माननीय सदस्य प्रो० संजय बैजल, वाणिज्य विभाग ने एम०एड० दो वर्षीय पाठ्यक्रम पर अपनी असहमति दर्ज करायी।

- स. शिक्षाशास्त्र विभाग के स्नातक पाठ्यक्रम समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 17.12.2015, बी०पी०एड० दो वर्षीय पाठ्यक्रम की संस्तुति को स्थगित किया।
  - द. शिक्षाशास्त्र विभाग के स्नातक पाठ्यक्रम समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 13.05.2015, 22.06.2015, 09.07.2015, 31.08.2015, 19.11.2015 एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 12.05.2015, 29.10.2015 एवं 04.11.2015 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया।
1. (ख) अध्यक्ष की अनुमति से विद्या परिषद् हेतु पाँच बाह्य सदस्यों को कोऑप्ट करने पर विचार करते हुए पाँच सदस्यों को नामित करने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद देकर बैठक सम्पन्न हुई।

Yuvica Adh  
कुलसचिव 25/1/16

सचिव-विद्या परिषद्



कुलपति

अध्यक्ष- विद्या परिषद्



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर

विद्या परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 13.02.2016 का कार्यवृत्त

स्थान : संवाद भवन

समय : पूर्वान्ह 10.30 बजे

उपस्थिति :

1. प्रो० अशोक कुमार, कुलपति	अध्यक्ष
2. अधिष्ठाता- कृषि संकाय	सदस्य
3. अधिष्ठाता- वाणिज्य संकाय	"
4. अधिष्ठाता- विधि संकाय	"
5. अधिष्ठाता- शिक्षा संकाय	"
6. अध्यक्ष- संस्कृत विभाग	"
7. अध्यक्ष- हिन्दी विभाग	"
8. अध्यक्ष- अंग्रेजी विभाग	"
9. अध्यक्ष- दर्शनशास्त्र विभाग	"
10. अध्यक्ष- मनोविज्ञान विभाग	"
11. अध्यक्ष- अर्थशास्त्र विभाग	"
12. अध्यक्ष- मध्यकालीन इतिहास विभाग	"
13. अध्यक्ष- समाजशास्त्र विभाग	"
14. अध्यक्ष- ललित कला एवं संगीत विभाग	"
15. अध्यक्ष- वाणिज्य विभाग	"
16. अध्यक्ष- प्राणि विज्ञान विभाग	"
17. अध्यक्ष- भूगोल विभाग	"
18. अध्यक्ष- गणित एवं सांख्यिकी विभाग	"
19. अध्यक्ष- जैव प्रौद्योगिकी विभाग	"
20. प्रो० अनिल कुमार राय, हिन्दी विभाग	"
21. प्रो० मुरली मनोहर पाठक, संस्कृत विभाग	"
22. प्रो० अनीता माईल्स, अंग्रेजी विभाग	"
23. प्रो० सुशील कुमार तिवारी, दर्शनशास्त्र विभाग	"
24. प्रो० द्वारका नाथ, दर्शनशास्त्र विभाग	"
25. प्रो० अनुपम नाथ त्रिपाठी, मनोविज्ञान विभाग	"
26. प्रो० कीर्ति पाण्डेय, समाजशास्त्र विभाग	"
27. प्रो० श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी, राजनीतिशास्त्र विभाग	"
28. प्रो० के०एन० सिंह, भूगोल विभाग	"
29. प्रो० रामबरन पटेल, भूगोल विभाग	"
30. प्रो० रवि प्रताप सिंह, वाणिज्य विभाग	"
31. प्रो० संजय बैजल, वाणिज्य विभाग	"
32. प्रो० अजेय कुमार गुप्ता, वाणिज्य विभाग	"
33. प्रो० वी०एन० पाण्डेय, वनस्पति विज्ञान विभाग	"

- |   |                  |
|---|------------------|
| 34. प्रो० दिनेश कुमार सिंह, प्राणि विज्ञान विभाग                            | “                |
| 35. प्रो० हरिशंकर शुक्ला, गणित एवं सांख्यिकी विभाग                          | “                |
| 36. प्रो० नरेश प्रसाद भोक्ता, शिक्षाशास्त्र विभाग                           | “                |
| 37. प्रो० सुमित्रा सिंह, शिक्षाशास्त्र विभाग                                | “                |
| 38. डॉ० के०के० यादव, प्राचार्य, बापू डिग्री कालेज, पीपीगंज, गोरखपुर         | “                |
| 39. डॉ० जितेन्द्र मिश्र, विधि विभाग   | “                |
| 40. डॉ० जे०ए०वी० प्रसाद राव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग                         | “                |
| 41. डॉ० लल्लन यादव, भौतिकी विभाग  | “                |
| 42. डॉ० उदय सिंह, शिक्षाशास्त्र विभाग                                       | “                |
| 43. डॉ० वेद प्रकाश मिश्र, सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर                    | “                |
| 44. डॉ० श्रीमती सरोज श्रीवास्तव, गोरखपुर, डी०ए०वी० पी०जी० कालेज,<br>गोरखपुर | “                |
| 45. डॉ० श्रीपाल सिंह, गोरखपुर, दिग्विजय नाथ पी०जी० कालेज, गोरखपुर           | “                |
| 46. अधिष्ठाता- छात्र कल्याण   | “                |
| 47. डॉ० अमरेन्द्र कुमार सिंह  | परीक्षा नियंत्रक |
| 48. कुलसचिव   | सचिव             |


बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् माननीय कुलपति ने समस्त माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए इस विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में दो वर्ष पूर्ण होने पर कृतज्ञता ज्ञापित की तथा बसन्त पंचमी की शुभकामनायें दी।

तत्पश्चात् बैठक में दिनांक : 22.02.2016 को आयोजित होने वाले 34वें दीक्षान्त समारोह में दी जाने वाली पी-एच०डी० उपाधि, विभिन्न कक्षाओं की उपाधियों एवं मेडल की सूचना तथा उसके अनुमोदन पर विचार किया गया।

सम्यक् विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने दिनांक : 22.02.2016 को आयोजित होने वाले विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षान्त समारोह में दी जाने वाली कुल 186 पी-एच०डी० उपाधि, विभिन्न कक्षाओं की कुल 6,389 उपाधियाँ, वर्ष 2014-15 हेतु कुल 102 स्वर्ण पदक एवं वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 हेतु कुल 13 स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया।

इस वर्ष प्रारम्भ होने वाले दानदाता-स्वर्णपदक निर्धारित करने की सुसंगत प्रक्रिया जारी है जो दिनांक 15.02.2016 तक पूर्ण जायेगी।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

  
कुलसचिव

  
कुलपति



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर

बिन्दु सं०-1

(1)

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 10.05.2016 में आंशिक संशोधन


माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 10.05.2016 के पूरक कार्यसूची के बिन्दु संख्या 3 में निम्नलिखित आंशिक संशोधन किया जाता है—

“विश्वविद्यालय की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सैद्धान्तिक रूप से यह स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया कि अन्तर-संकाय के अप्रायोगिक विषयों में व्यक्तिगत अभ्यर्थी रूप में परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की जाय तथा इस सम्बन्ध में समस्त औपचारिकतायें यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जाय”

के स्थान पर

“व्यापक छात्र हित के उद्देश्य से सैद्धान्तिक रूप से यह स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया कि अन्तर-संकाय के अप्रायोगिक विषयों में व्यक्तिगत अभ्यर्थी रूप में परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की जाय तथा इस सम्बन्ध में समस्त औपचारिकतायें यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जाय”।

पढ़ा जाय।

  
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : 468/कमेटी/2016, 30.06.2016

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. विद्या परिषद् के समस्त सम्मानित सदस्यगण
2. परीक्षा नियंत्रक
3. अधीक्षक— सम्बद्धता/परीक्षा सामान्य/गोपनीय
4. सचिव, कुलपति
5. कुलसचिव कार्यालय

  
कुलसचिव





दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर  
विद्या परिषद की बैठक दिनांक 10.05.2016 का कार्यवृत्त

27

उपस्थिति :

1. प्रो० अशोक कुमार, कुलपति	अध्यक्ष
2. अधिष्ठाता— कृषि संकाय	सदस्य
3. अधिष्ठाता— कला संकाय	"
4. अधिष्ठाता— वाणिज्य संकाय	"
5. अधिष्ठाता— विधि संकाय	"
6. अधिष्ठाता— औषधि संकाय	"
7. अधिष्ठाता— शिक्षा संकाय	"
8. अध्यक्ष— संस्कृत विभाग	"
9. अध्यक्ष— हिन्दी विभाग	"
10. अध्यक्ष— उर्दू विभाग	"
11. अध्यक्ष— अंग्रेजी विभाग	"
12. अध्यक्ष— दर्शनशास्त्र विभाग	"
13. अध्यक्ष— मनोविज्ञान विभाग	"
14. अध्यक्ष— शिक्षाशास्त्र विभाग	"
15. अध्यक्ष— अर्थशास्त्र विभाग	"
16. अध्यक्ष— राजनीतिशास्त्र विभाग	"
17. अध्यक्ष— प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग	"
18. अध्यक्ष— इतिहास विभाग	"
19. अध्यक्ष— समाजशास्त्र विभाग	"
20. अध्यक्ष— भूगोल विभाग	"
21. अध्यक्ष— ललित कला एवं संगीत विभाग	"
22. अध्यक्ष— वाणिज्य विभाग	"
23. अध्यक्ष— व्यवसाय प्रशासन विभाग	"
24. अध्यक्ष— विधि विभाग	"
25. अध्यक्ष— भौतिकी विभाग	"
26. अध्यक्ष— वनस्पतिविज्ञान विभाग	"
27. अध्यक्ष— प्राणिविज्ञान विभाग	"
28. अध्यक्ष— गणित एवं सांख्यिकी विभाग	"
29. अध्यक्ष— रक्षा एवं सत्रातजिक अध्ययन विभाग	"
30. अध्यक्ष— जैव प्रौद्योगिकी विभाग	"

31. अध्यक्ष, प्रौढ सतत एवं प्रसार शिक्षा विभाग ..
32. प्रो० रामदरश राय, हिन्दी विभाग ..
33. प्रो० मंजू त्रिपाठी, हिन्दी विभाग ..
34. प्रो० एम०एम० पाठक, संस्कृत विभाग ..
35. प्रो० अनीता माईल्स, अंग्रेजी विभाग ..
36. प्रो० सी०पी० श्रीवास्तव, दर्शनशास्त्र विभाग ..
37. प्रो० सुशील कुमार तिवारी, दर्शनशास्त्र विभाग ..
38. प्रो० द्वारका नाथ, दर्शनशास्त्र विभाग ..
39. प्रो० अनुपम नाथ त्रिपाठी, मनोविज्ञान विभाग ..
40. प्रो० विपुला दूबे, प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग ..
41. प्रो० ईश्वरशरण विश्वकर्मा, प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग ..
42. प्रो० कीर्ति पाण्डेय, समाजशास्त्र विभाग ..
43. प्रो० श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी, राजनीति विज्ञान विभाग ..
44. प्रो० राजकिशोर पाठक, विधि विभाग ..
45. प्रो० एस०के० दीक्षित, भूगोल विभाग ..
46. प्रो० के०एन० सिंह, भूगोल विभाग ..
47. प्रो० रामबरन पटेल, भूगोल विभाग ..
48. प्रो० अवधेश कुमार तिवारी, वाणिज्य विभाग ..
49. प्रो० श्रीवर्धन पाठक, वाणिज्य विभाग ..
50. प्रो० रवि प्रताप सिंह, वाणिज्य विभाग ..
51. प्रो० संजय बैजल, वाणिज्य विभाग ..
52. प्रो० आशीष कुमार श्रीवास्तव, वाणिज्य विभाग ..
53. प्रो० मिहिर राय चौधरी, भौतिकी विभाग ..
54. प्रो० वी०एन०पाण्डेय, वनस्पतिविज्ञान विभाग ..
55. प्रो० दिनेश कुमार सिंह, प्राणिविज्ञान विभाग ..
56. प्रो० एच०एस०शुक्ला, गणित एवं सांख्यिकी विभाग ..
57. प्रो० राजेन्द्र प्रसाद, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग ..
58. प्रो० हरिशरण, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग ..
59. प्रो० एन०पी० भोक्ता, शिक्षाशास्त्र विभाग ..
60. प्रो० सुमित्रा सिंह, शिक्षाशास्त्र विभाग ..
61. प्राचार्य, बी०आर०डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर ..
62. डॉ० के०के० यादव, प्राचार्य ..
63. डॉ० अनिल कुमार सिंह, प्राचार्य ..
64. डॉ० जितेन्द्र मिश्र, उपाचार्य—विधि विभाग ..
65. डॉ० जे०ए०वी० प्रसादा राव, उपाचार्य— जैव प्रौद्योगिकी विभाग ..
66. डॉ० सरिता पाण्डेय, उपाचार्य— शिक्षाशास्त्र विभाग ..



67. डॉ० उदय सिंह, शिक्षाशास्त्र विभाग	..	④
68. डॉ० कमलेश कुमार गौतम, प्रा०इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग	..	
69. डॉ० आलोक कुमार गोयल, अर्थशास्त्र विभाग	..	
70. डॉ० वेद प्रकाश पाण्डेय, सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर	..	
71. डॉ० सरोज श्रीवास्तव, डी०ए०वी०पी०जी० कालेज, गोरखपुर	..	
72. डॉ० प्रदीप कुमार सिन्हा, उदित नारायण पी०जी० कालेज, पडरौना	..	
73. अधिष्ठाता- छात्र कल्याण	..	
74. डॉ० विजय चाहल, शारीरिक शिक्षा	विशेष आमंत्रित	
75. कुलसचिव	सचिव	

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने विद्या परिषद् के सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया एवं सहयोग करने की अपेक्षा की। मा० कुलपति जी ने अवगत कराया कि दिनांक 14 मई, 2016 को स्व० मोहन सिंह संग्रहालय के उद्घाटन के अवसर पर श्रीमती जया बच्चन एवं श्रीमती डिम्पल यादव, सांसद विश्वविद्यालय परिसर में आ रही हैं। इस अवसर पर विद्या परिषद् के सभी सदस्यों से उपस्थित रहने का अनुरोध किया। तत्पश्चात् निम्नलिखित कार्यसूची पर विचार किया गया—

बिन्दु संख्या	प्रस्ताव एवं निर्णय
1.	विद्या परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 23.04.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 23.04.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट करते हुए निर्णय लिया कि परास्नातक उपाधि हेतु संशोधित अध्यादेश को विद्या परिषद् के सभी सदस्यों को प्रेषित कर दिया जाय, जिससे अगली बैठक में इस पर विचार किया जा सके।
2.	विद्या परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 27.06.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 27.06.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किया।
3.	विद्या परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 22.12.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 22.12.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्ट किया।
4.	विद्या परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 11.01.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 11.01.2016 की कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या-1 (क) (अ) को हटाते हुए सम्पुष्ट किया तथा इस कार्यवृत्त के साथ प्रो० संजय बैजल, आचार्य- वाणिज्य विभाग की लिखित आपत्ति को संलग्न किया जाय। आगामी विद्या परिषद् में डॉ० संजय बैजल की आपत्तियों

	पर चर्चा हो।
5.	विद्या परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 13.02.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 13.02.2016 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किया।
6.	विद्या परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 11.01.2016 के स्थगित बिन्दु संख्या 1 (क) (स)– शिक्षाशास्त्र विभाग के स्नातक पाठ्यक्रम समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 17.12.2015, बी0पी0एड0 दो वर्षीय पाठ्यक्रम की संस्तुतियों पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 11.01.2016 के स्थगित बिन्दु संख्या 1 (क) (स)– शिक्षाशास्त्र विभाग के स्नातक पाठ्यक्रम समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 17.12.2015, बी0पी0एड0 दो वर्षीय पाठ्यक्रम की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया तथा निर्णय लिया गया कि टंकण त्रुटियों में सुधार कर लिया जाय।
7.	विद्या परिषद् ने कुलाधिपति महोदय के सचिव के पत्र सं0 4847/7–जी0एस0/2009 दिनांक 08.07.2015 के माध्यम से दो बिन्दुओं पर आख्या तैयार करने हेतु मा0 कुलपति द्वारा प्रो0 एच0एस0 शुक्ल के संयोजकत्व में गठित समिति की आख्या पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने समिति की आख्या को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया।
8.	विद्या परिषद् ने डॉ0 एस0के0 सिंह, अधिष्ठाता– कृषि संकाय, उदय प्रताप आटोनामस कालेज, वाराणसी के पत्र दिनांक 8.12.2015, जो महान समाजवादी स्व0 मोहन सिंह की स्मृति में गोरखपुर विश्वविद्यालय में चेयर स्थापित करने के सम्बन्ध में है, पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने डॉ0 एस0के0 सिंह, अधिष्ठाता– कृषि संकाय, उदय प्रताप आटोनामस कालेज, वाराणसी के पत्र दिनांक 8.12.2015, जो महान समाजवादी स्व0 मोहन सिंह की स्मृति में गोरखपुर विश्वविद्यालय में चेयर स्थापित करने के सम्बन्ध में है, को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार करते हुए निर्णय लिया कि इस पर अगली कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु एक समिति का गठन किया जाय। इस हेतु माननीय कुलपति को अधिकृत किया गया।
9.	विद्या परिषद् ने राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की अधिवर्षिता आयु की वृद्धि के सम्बन्ध में प्रो0 एच0एस0 शुक्ल, अधिष्ठाता– विज्ञान संकाय के संयोजकत्व में गठित समिति द्वारा तैयार किये गये परिनियम पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की अधिवर्षिता आयु के वृद्धि के सम्बन्ध में प्रो0 एच0एस0 शुक्ल, अधिष्ठाता– विज्ञान संकाय के संयोजकत्व में गठित समिति द्वारा तैयार किये गये परिनियम को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया।
10.	विद्या परिषद् ने डॉ0 अम्बेडकर छात्र युवा चेतना समिति, आनन्दपुर, इन्जीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के पत्र दिनांक 11.03.2015, जो विभिन्न मांगों के सम्बन्ध है, पर कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 27.03.2015 के संकल्प संख्या 28 द्वारा गठित समिति की संस्तुति संख्या (5)

	<p>पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने इस प्रकरण पर कार्यवाही हेतु अधिष्ठाता-छात्र कल्याण, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर को संदर्भित करने का निर्णय लिया।</p>
11.	<p>विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली में दिनांक 27 फरवरी, 2014 को सम्पन्न 498वें बैठक की कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 2.05 जो शोध अध्यादेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की अर्हता में 5 प्रतिशत छूट देने सम्बन्धी है, पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली में दिनांक 27 फरवरी, 2014 को सम्पन्न 498वें बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 2.05 जो शोध अध्यादेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की अर्हता में 5 प्रतिशत छूट देने सम्बन्धी है, को शोध अध्यादेश में यथास्थान समाहित करने का निर्णय लेते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया।</p>
12.	<p>विद्या परिषद् ने कला संकाय परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 22.06.2015 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने कला संकाय परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 22.06.2015 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया।</p>
13.	<p>विद्या परिषद् ने विज्ञान संकाय परिषद् की बैठक दिनांक : 27.07.2015 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने विज्ञान संकाय परिषद् की बैठक दिनांक : 27.07.2015 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया तथा विद्या परिषद् के सदस्य प्रो० संजय बैजल, आचार्य- वाणिज्य विभाग ने अपनी आपत्ति दर्ज करायी जिसे परिचालित करने का निर्णय हुआ।</p>
14.	<p>विद्या परिषद् ने विज्ञान संकाय परिषद् की बैठक दिनांक : 07.12.2015 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने विज्ञान संकाय परिषद् की बैठक दिनांक : 07.12.2015 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया।</p>
15.	<p>विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार के गजट दिनांक 11 जुलाई, 2009, जो पी-एच0डी0 उपाधि के रेगुलेशन, 2009 के बिन्दु संख्या 13 (कोर्स वर्क) से सम्बन्धी है, पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार के गजट दिनांक 11 जुलाई, 2009, जो पी-एच0डी0 उपाधि के रेगुलेशन, 2009 के बिन्दु संख्या 13 (कोर्स वर्क) से सम्बन्धी है, को पी-एच0डी0 अध्यादेश में यथास्थान समाहित करने का निर्णय लेते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया।</p>


16.	विद्या परिषद् ने सेमेस्टर प्रणाली वाले पाठ्यक्रमों के बैंक पेपर की परीक्षा कराने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने सेमेस्टर प्रणाली वाले पाठ्यक्रमों के बैंक पेपर की परीक्षा कराने के प्रकरण को स्थगित कर दिया।
-----	--

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 10.05.2016 की पूरक कार्यसूची का कार्यवृत्त :

1.	विद्या परिषद् ने औषधि संकाय परिषद् की बैठक दिनांक 28.04.2016 की संस्तुतियों पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने औषधि संकाय परिषद् की बैठक दिनांक 28.04.2016 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया।
2.	विद्या परिषद् ने विधि संकाय परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 03.05.2016 की संस्तुतियों पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने विधि संकाय परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 03.05.2016 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया तथा विद्या परिषद् के सदस्य प्रो० संजय बैजल, आचार्य-वाणिज्य विभाग ने विधि संकाय परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 03.05.2016 की संस्तुतियों के बिन्दु संख्या 3 एवं 4 पर अपनी आपत्ति दर्ज करायी।
3.	अध्यक्ष की अनुमति से विश्वविद्यालय की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सैद्धान्तिक रूप से यह स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया कि अन्तर-संकाय के अप्रायोगिक विषयों में व्यक्तिगत अभ्यर्थी रूप में परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की जाय तथा इस सम्बन्ध में समस्त औपचारिकतायें यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जाय।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

y. B.  
18/5/16  
कुलसचिव  
—

  
18/5/16  
कुलपति

## दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय

(8)

### सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत परास्नातक उपाधि हेतु संशोधित अध्यादेश

- 1. प्रस्तावना:** दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं शिक्षा संकाय के अन्तर्गत संचालित समस्त द्विवर्षीय परास्नातक उपाधि पाठ्यक्रम चार सेमेस्टर के होंगे। परास्नातक प्रथम वर्ष में प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर तथा द्वितीय वर्ष में तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर होंगे। प्रत्येक सेमेस्टर में प्रति सप्ताह तीस घण्टा/वादन शिक्षण के 13 सप्ताह की शिक्षण अवधि होगी।
- 2. सेमेस्टर की कालावधि:**

प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर	- जुलाई से नवम्बर तक
द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर	- दिसम्बर से अप्रैल तक।
- 3. प्रवेश:** दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सम्बन्धित विषय में त्रिवर्षीय स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी प्रवेश के लिए अर्ह होंगे। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश, इस हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों की वरीयता के अनुसार होगा।
- 4. परीक्षा:**
  - (i) परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं में अलग-अलग पचहत्तर प्रतिशत (75%) उपस्थिति अनिवार्य होगी। उपस्थिति में कोई भी शिथिलता विश्वविद्यालय के नियमानुसार अनुमन्य होगी।
    - (ii) पाठ्यक्रम के प्रत्येक प्रश्नपत्र (मौखिकी/प्रायोगिक सहित) का पूर्णांक 100/50 होगा। सेमेस्टर उत्तीर्ण करने के लिए उसके प्रत्येक सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 20 प्रतिशत अंकों के साथ सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों के योग में न्यूनतम 36% तथा मौखिकी/प्रायोगिक/प्रोजेक्ट कार्य में अलग से न्यूनतम 36% अंक पाना अनिवार्य होगा।
    - (iii) ऐसे विद्यार्थी जो सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों में से एक या अधिक में निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक (20%) न प्राप्त किये हों, किन्तु उस सेमेस्टर के सभी सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों के योग का 36% या अधिक प्राप्त किये हों, वे अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत हो सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को अगले वर्ष की संगत सेमेस्टर की नियमित परीक्षा के साथ पिछले सेमेस्टर के उन प्रश्नपत्रों, जिनमें उन्हें 20% से कम अंक मिले हों, की भी परीक्षा देनी होगी और प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक 20% प्राप्त करना होगा।
    - (iv) ऐसे विद्यार्थी जो सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों में से प्रत्येक में 20% या अधिक अंक प्राप्त किये हों, किन्तु उस सेमेस्टर के सभी सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों के योग का 36% न प्राप्त किये हों,

Academic  
Council  
2

2/25

वे भी अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत हो सकेंगे। इन्हें भी अगले वर्ष संगत सेमेस्टर की नियमित परीक्षा के साथ पिछले सेमेस्टर के अधिकतम दो प्रश्नपत्रों का चयन कर उसकी/उनकी परीक्षा देनी होगी और सम्बन्धित सेमेस्टर के सिद्धान्त प्रश्नपत्रों के योग का न्यूनतम 36% प्राप्त कर लेना होगा।

(v) प्रथम वर्ष में प्रविष्ट विद्यार्थी उसके दोनों सेमेस्ट्रों (प्रथम एवं द्वितीय) में शिक्षण प्राप्त कर सकेंगे और कक्षा में न्यूनतम 75% उपस्थिति के साथ उनकी परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकेंगे। इसी प्रकार, द्वितीय वर्ष में प्रविष्ट विद्यार्थी उसके दोनों सेमेस्ट्रों (तृतीय एवं चतुर्थ) में शिक्षण प्राप्त कर सकेंगे और नियमानुसार उनकी परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकेंगे।

(vi) द्वितीय वर्ष की परीक्षा के उपरान्त यदि किसी विद्यार्थी का किसी भी (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ) सेमेस्टर की परीक्षा में बैक पेपर रह जाता है, तो वह उसे/उन्हें उसी क्रम में अगले वर्ष की सम्बन्धित सेमेस्टर की परीक्षा के साथ उत्तीर्ण कर सकता है। यह सुविधा केवल एक बार ही दी जायेगी। इस अवसर में भी अनुत्तीर्ण रहने के बाद विद्यार्थी अगले वर्ष भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में नियमित परीक्षा के साथ उक्त सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है।

(vii) प्रथम या द्वितीय वर्ष के किसी सेमेस्टर की परीक्षा में उत्तीर्ण भूतपूर्व विद्यार्थी (Ex-Student) को उक्त सेमेस्ट्रों की परीक्षा नहीं देनी होगी। उसके उस सेमेस्टर के अंक संरक्षित(Reserve) रहेंगे, जिसे वह उत्तीर्ण कर चुका है।

(viii) किसी सेमेस्टर की प्रायोगिक/मौखिकी/प्रोजेक्ट वर्ष की छूटी हुई परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय के नियमानुसार एक अवसर और दिया जायेगा।

(ix) प्रथम सेमेस्टर के किसी भी प्रश्नपत्र की परीक्षा में सम्मिलित न होने वाले विद्यार्थी का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(x) प्रथम/तृतीय सेमेस्टर उत्तीर्ण, किन्तु द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित न होने वाले विद्यार्थी अगले वर्ष द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर में शिक्षण प्राप्त कर उसकी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

(xi) परीक्षाफल प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के प्राप्तांकों के योग के आधार पर निम्नलिखित मानक के अनुसार घोषित किया जायेगा:-

- प्रथम श्रेणी : पूर्णांक का 60% या उससे अधिक अंक प्राप्तांक पर;  
 द्वितीय श्रेणी : पूर्णांक का 48% या उससे अधिक किन्तु 60%से कम अंक प्राप्तांक पर;  
 तृतीय श्रेणी : पूर्णांक का 36% या उससे अधिक किन्तु 48%से कम अंक प्राप्तांक पर।

Dr. S. S. S.



10

Note of Dissent

I differ with the MEd ordinances, framed by the Board of Studies in Education and passed by the Board of Faculty in Education, put before the emergent meeting of the Academic Council held on Jan 11, 2016 as the ordinances framed do not conform to the Norms and Standards for MEd program as notified by the Government of India vide Gazette of India: Extraordinary [Part III- Section 4] 2014.  
The points of non conformity are too many e.g.-

- The preamble of the norms specifically states that the completion of the program shall lead to MEd degree with specialization either in Elementary Education ( up to Class VIII ) or in Secondary Education ( Classes VI to Class XII); but the proposed ordinances don't mention it.
- As per the norms laid, the institution concerned with the conduct of the program shall be available for interaction shall work for minimum of 36 hours in a week ( 5 or 6 days) during which faculty and students, dialogue, consultation and mentoring students; but the proposed ordinances don't include the presence of faculty in the premises for a minimum of 36 hours in a week ( 5 or 6 days). Also, the norms lay that the minimum attendance of students shall be 80% for theory courses and practical and 90% for field attachment; but the proposed ordinances speak of a flat 75% attendance that too along with concessions.
- The norms include the basis for an additional unit in the program based on quality of infrastructure, faculty and other resources with various provisos; but the proposed ordinances don't include the same.
- The norms lay that admission to program shall be made on merit on the basis of marks obtained in the qualifying examination and in the entrance examination with provisions of NCTE Regulations 2002 as amended and institutions shall not charge any donations, capitation fee etc. from the students; but the proposed ordinances differs from it as it says that admission shall be made on the basis of entrance examination only. Moreover, it is silent on the charging of donation etc aspect.
- The norms lay that the theory courses will be divided into core courses and specialization courses and specialization courses and specifies too the various guidelines regarding the same; but the ordinances don't conform to it.

Moreover, in the proposed ordinances the existing syllabi for the MEd program has been split into two parts. In the 1 year, the compulsory prepares of the existing syllabi has been included while in the II year, the optional papers of the existing syllabi has been included.

- The norms lay the guidelines for assessment too & requires that for each theory course: at least 30% weightage shall be assigned for continuous internal assessment and 70 % for examination conducted by the examining body; but the proposed ordinances differ in this respect too as it speaks of only 20 % weightage for continuous internal assessment & 80 % for examination conducted by the examining body.

(Sanjay Baijal)

Encl. Copy of Gazette of India;  
Extraordinary [Part II - Sec 4] 2014



- (e) There shall be a fully furnished Teaching-Learning Resource Centre for Arts and Work Experience. (12)
- (f) Games and sports equipments for common indoor and out door games should be available.
- (g) Simple musical instruments such as harmonium, table, manjira and other indigenous instruments.

### 6.3 Other Amenities

- (a) Functional and appropriate furniture in required number for instructional and other purposes.
- (b) Arrangement may be made for parking of vehicles.
- (c) Access to safe drinking water be provided in the institution.
- (d) Effective arrangement be made for regular cleaning of campus, water and toilet facilities (separate for male and female students and teachers), repair and replacement of furniture and other equipments.

(Note: In case of composite institution, the infrastructural, instructional and other facilities shall be shared by various programmes.)

### 7. Managing Committee

The institution shall have a Managing Committee constituted as per the rules, if any of the affiliating University/concerned State Government. In the absence of such rules, the institution shall constitute the Managing Committee on its own. The Committee shall comprise representatives of the sponsoring society/trust, Educationists and Teacher Educators, representatives of the affiliating university and of the staff.

### APPENDIX-5

#### Norms and Standards for master of education programme leading to Master of Education (M.Ed.) Degree

##### 1. Preamble

The Master of Education (M.Ed.) Programme is a two-year professional programme in the field of Teacher Education which aims at preparing teacher educators and other education professionals including curriculum developers, educational policy analysts, planners, administrators, supervisors, school principals and researchers.

? || The completion of the programme shall lead to M.Ed. degree with specialisation either in elementary education (upto class VIII) or in secondary education (classes VI-XII).

##### 2. Institutions Eligible to Apply

(i) Institutions offering teacher education programmes for a minimum period of five academic years, being affiliated to a university, and having applied for accreditation from NAAC or any other accrediting agency approved by NCTE.

(ii) University Departments of Education.

##### 3. Duration and Working Days

###### 3.1 Duration

The M.Ed. programme shall be of a duration of two academic years including field attachment for a minimum of 4 weeks and research dissertation. Students shall be permitted to complete the programme requirements of the two-year programme within a maximum period of three years from the date of admission to the programme. The summer should be used for field attachment/practicum/other activities.

###### 3.2 Working Days

? || There shall be at least two hundred working days each year, exclusive of the period of admission and inclusive of classroom transaction, practicum, field study and conduct of examination. The institution shall work for a minimum of thirty six hours in a week (five or six days) during which faculty and students concerned with the conduct of the programme shall be available for interaction, dialogue, consultation and mentoring students.

? || The minimum attendance of students shall be 80% for Theory Courses and Practicum, and 90% for Field Attachment.

##### 4. Intake, Eligibility, Admission Procedure and Fees

###### 4.1 Intake

? || The basic unit size for the programme shall be 50. An Institution shall be allowed only one unit. Additional unit in the programme shall be permitted only based on quality of infrastructure, faculty and other resources, after the Institution has offered the programme for three years and has been awarded minimum B+ grade by NAAC or any other accrediting agency approved by NCTE.

4.2 Eligibility

- (a) Candidates seeking admission to the M.Ed. programme should have obtained at least 50% marks or an equivalent grade in the following programmes:
  - (i) B.Ed.
  - (ii) B.A.B.Ed., B.Sc.B.Ed.
  - (iii) B.El.Ed.
  - ?? || (iv) D.El.Ed. with an undergraduate degree (with 50% marks in each).
- (b) Reservation and relaxation for SC/ST/OBC/PWD and other applicable categories shall be as per the rules of the Central Government/State Government whichever is applicable.

4.3 Admission Procedure

?) | Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the qualifying examination and in the entrance examination or any other selection process as per the policy of the State Government/Central Government/University/UT Administration.

4.4 Fees

2 | The institution shall charge only such fee as prescribed by the affiliating body / state government concerned in accordance with provisions of National Council for Teacher Education (NCTE) (Guidelines for regulations of tuition fees and other fees chargeable by unaided teacher education institutions) Regulations, 2002, as amended from time to time and shall not charge donations, capitation fee etc from the students.

5. Curriculum, Programme Implementation and Assessment

5.1 Curriculum

The M.Ed. programme is designed to provide opportunities for students to extend as well as deepen their knowledge and understanding of Education, specialize in select areas and also develop research capacities, leading to specialisation in either elementary education or secondary education. The curriculum of the two-year M.Ed programme shall comprise of the following components:

- (1) A Common Core that includes Perspective Courses, Tool Courses, Teacher Education Courses, and a Self-development component;
- (2) Specialisation Branches where students choose to specialise in any one of the school levels/areas (such as elementary, or secondary and senior secondary);
- (3) Research leading to dissertation; and
- (4) Field immersion/attachment/internship. There shall be core courses (which shall have about 60% of credits) and specialised courses in elementary education or secondary education and dissertation with about 40% of credits. || ?

(a) Theory (Core and Specialisation) Courses

The theory courses are divided into core courses and specialisation courses. The main core courses shall comprise perspective courses, tool courses, and teacher education courses.

Perspective Courses shall be in-the areas of: Philosophy of Education, Sociology-History-Political Economy of Education, Psychology of Education, Education Studies, and Curriculum Studies. Tool Courses shall comprise of those in basic and advanced level education research, academic/professional writing and communication skills, and educational technology, including workshops/courses in ICT. Teacher Education courses (which are also linked with the field internship/immersion/attachment in a teacher education institution) shall also be included in the core.

The Specialisation component/branches shall offer to students a specialisation in one of the school stages - elementary (upto VIII), or secondary and senior secondary (VI to XII)). The courses within the school stage specialisations shall represent/cover selected thematic areas pertinent to that stage such as: Curriculum pedagogy and assessment; Policy, economics and planning; Educational management and administration; Education for differently abled; etc. Other specialisations may also be planned. A field internship/attachment relevant to the area of specialisation shall be organised during the programme.

Critical reflection on gender, disability and marginalisation should cut-across the courses in core and specialisations. Similarly skills pertaining to ICT and educational technology should be integrated in various courses in the programme. Besides, yoga education shall ~~form~~ be an integral part of the curriculum.

(b) Practicum

Organisation of workshops, practicum activities and seminars to enhance professional skills and understanding of the students shall be part of the teaching modality of the various taught courses.

14

**(c) Internship and Attachment**

Field attachments/internships/immersions shall be facilitated with organizations and institutions working in education. These would aim at engaging the students with field-based situations and work in elementary and other levels of education, and to provide an opportunity for reflection and writing on the same. Systematically planned field internship/attachment in a teacher education institution, and in the specialisation area chosen by the student shall be organised during the programme.

Close mentorship by faculty in relevant areas should be provided for in the programme in the form of tutorials, guided reading groups, field attachment, and guided research dissertation.

**5.2 Programme Implementation**

The institution will have to meet the following specific demands of this professional programme of study (M.Ed.):

- (i) Prepare a calendar for all activities, including internship and field attachment. The Calendar of the M.Ed. programme shall be synchronised with the academic calendar of the institutions identified for internship and attachment.
- (ii) Submission of a Dissertation which could be based on primary field data or secondary data or a treatise comprising of a long reflective and critical essay on an approved topic shall be compulsory.
- (iii) For the conduct of the dissertation, the ratio of faculty to students for guidance and mentoring shall be 1:5.
- (iv) Structured engagement of M.Ed. students with educational sites/fields for not less than four weeks resulting in a reflective report. The suggested sites/fields are as follows:
  - (a) Professional pre-service teacher education programme.
  - (b) An organization engaged in the development of innovative curriculum and pedagogic practices.
  - (c) International/national/state institution involved in curriculum design; textbook development; education policy planning, formation and implementation; educational administration and management.
  - (d) In-service training programmes for school teachers.
- (v) The institutions shall initiate discourse in education by periodically organising seminars, debates, lectures and discussion groups for students and faculty. Students' participation in the weekly research colloquium/seminar shall be ensured.
- (vi) There shall be mechanisms and provisions in the Institution for addressing complaints of students and faculty, and for redressal of grievances.
- (vii) Mechanisms shall be worked out where faculty other than the ones actually dealing with the course shall be involved in the work of the institution.

**5.3 Assessment**

For each theory course, at least 30% weightage shall be assigned for continuous internal assessment, and 70% for examination conducted by the examining body. The weightage for the internal and external assessment for theory and practicum courses shall be such as prescribed by the affiliating university based on the above formulation. The bases of internal assessment may include individual/ group assignments, seminar presentations, field attachment appraisal reports, etc. One-fourth of the total marks/credits/ weightage shall be assigned to practicum, internship, field attachment and dissertation.

**6. Staff****6.1 Faculty**

For an intake of 50 students per unit, the faculty-student ratio for a two year programme for 100 students shall be 1:10. The faculty positions shall be distributed as under:

1. Professors	Two
2. Associate Professors	Two
3. Assistant Professors	Six

The faculty members shall be appointed to cover all the core and specialised areas given in the curriculum. The Principal of a college offering M.Ed. programme shall be in the rank and scale of a professor.

**6.2 Qualifications****A. Principal/HoD**

- (i) Postgraduate degree in a related discipline.
- (ii) M.Ed. with minimum 55% marks.
- (iii) Ph.D. in Education.
- (iv) Ten years of professional experience in teacher education.

**B. Professor and Associate Professor**

- (i) Postgraduate degree with minimum 55% marks in the discipline relevant to the area of specialisation.
- (ii) Postgraduate degree in Education (M.Ed./M.A Education) with minimum 55% marks.
- (iii) Ph.D. degree in Education or in the discipline relevant to the area of specialisation.
- (iv) Any other qualifications prescribed by UGC like NET qualification or length of professional teaching experience as per UGC or state government norms for the positions of Professor and Associate Professor.

**C. Assistant Professor**

- (i) Postgraduate degree with minimum 55% marks in the discipline relevant to the area of specialisation.
- (ii) Postgraduate degree in Education (M.Ed./M.A Education) with minimum 55% marks.
- (iii) Any other qualifications prescribed by UGC like NET qualification.

(Note: Faculty can be utilised for teaching in a flexible manner so as to optimise academic expertise available).

**6.3 Administrative and Professional Support Staff**

(a) The following administrative staff shall be provided:

- 1. Office Manager One
- 2. IT Executive/Maintenance Staff One
- 3. Library Assistant/Resource Centre Coordinator One
- 4. Office Assistants Two
- 5. Helper One

(b) In the University Education Departments, the administrative staff shall be deployed as per the policy of the university.

**6.4 Terms and Conditions of Service**

The terms and conditions of service of teaching and non-teaching staff including selection procedure, pay scales, age of superannuation and other benefits shall be as per the policy of the State Government/Affiliating body.

**7 Facilities**

**7.1 Infrastructure**

An Institution already having one teacher education programme and proposing to offer M.Ed. for one basic unit, shall possess a minimum of 3000 sqm land area. The corresponding built up area shall be 2000 sqm. For additional intake of one basic unit, the minimum additional built up area shall be 500 sqm.

**(a) Classrooms**

For an intake of 50 students, there shall be provision for at least two classrooms with space and furniture to accommodate all students. The minimum size of the classroom shall be 50 sqm. The Institute shall provide a minimum of three small rooms of the size of 30 sqm. to hold tutorials and group discussions.

**(b) Seminar Room**

Multipurpose hall in the institution shall be shared. In addition, the institute shall have one seminar room with seating capacity of one hundred and minimum total area of 100 sqm. This hall shall be equipped for conducting seminars and workshops.

**(c) Faculty Rooms**

A separate cabin for each faculty member with a functioning computer and storage spaces shall be provided.

**(d) Administrative Office Space**

The institute shall provide adequate working space for the office staff, with furniture, storage and computer facilities.

**(e) Common Room(s)**

The institution shall provide at least two separate common rooms, one each for women and men.

**7.2 Equipments and Materials**

**(a) Library**

The library of the Institution/ University shall be shared and shall cater to the requirements of the programme. A minimum of 1000 relevant titles (with multiple copies of relevant textbooks) for the M Ed programme shall be

16

there, including reference books related to all courses of study, readings and literature related with the approaches delineated in the M.Ed. programme; educational encyclopedias, electronic publications (CD-ROMs) including online resources, and minimum five professional referred research journals of which at least one shall be an international publication. Library resources shall include books and journals published by NCTE, NCERT and other educational institutions. There shall also be provision of space for reading and reference section in the library. At least a hundred quality books will be added to the library every year. The library shall have photocopying facility and computer with Internet facility for the use of faculty and students.

(b) **Resource Centre**

An exclusive Resource Centre shall serve the purpose of a resource centre-cum-department library. It shall provide access to a variety of resources and materials to design and choose activities for teaching and learning; of relevant texts, copies of policy documents and commission reports; relevant curriculum documents such as the NCF, NCFTE, research reports, reports of surveys (national and state level), district and state level data; teachers' handbooks; books and journals relevant for course readings; field reports and reports of research seminars undertaken by students, Audio-visual equipments - TV, DVD Player, LCD Projector, films (documentaries, children's films, other films of social concerns/ issues of conflict, films on education); camera and other recording devices; and desirably ROT (satellite receive only terminal) and SIT (satellite interactive terminal).

Note: The facilities mentioned at 7.1 and 7.2 above shall be in addition to the facilities the institution already possesses for other teacher education programmes.

7.3 **Other Amenities**

- (a) Functional and appropriate labs and furniture in required number for instructional and other purposes.
- (b) Arrangement may be made for parking of vehicles.
- (c) Access to safe drinking water be provided in the institution.
- (d) Effective arrangement be made for regular cleaning of campus, water and toilet facilities (separate for male and female students and teachers), repair and replacement of furniture and other equipments.

(Note: If more than one programme in teacher education are run by the same institution in the same campus, the facilities of playground, multipurpose hall, library and laboratory (with proportionate addition of books and equipments) and instructional space can be shared. The institution shall have one Principal for the entire institution and Heads for different teacher education programmes offered in the institution.)

8 **Managing Committee**

The institution shall have a Managing Committee comprised of members from the Sponsoring Society/ Managing Society/Trust, two Educationists, primary/elementary education experts, one faculty member, Heads of two institutions identified for field attachment by rotation.

APPENDIX-6

**Norms and Standards for diploma in physical education programme leading to Diploma in Physical Education (D.P.Ed.)**

1. **Preamble**

The Diploma in Physical Education (D.P.Ed.) programme is a professional programme meant for preparing physical education teachers for elementary stage of school education (Class I to VIII).

2. **Duration and Working Days**

2.1 **Duration**

The Diploma in Physical Education programme shall be of a duration of two academic years. However, the students shall be permitted to complete the programme requirements within a maximum of three years from the date of admission to the programme.

2.2 **Working Days**

There shall be at least 200 working days exclusive of period of admission but inclusive of examination with at least 36 working hours in a week.

3. **Intake, Eligibility and Admission Procedure**

3.1 **Intake**

There shall be a basic unit of 50 students for each year.

3.2 **Eligibility**

Senior Secondary School (+2) or its equivalent examination passed with at least 50% marks.

However, 5% relaxation be given to those who have participated in International/ National/ State Sports Competition.





दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर  
विद्या परिषद की बैठक दिनांक 15.09.2016 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1. प्रो० अशोक कुमार, कुलपति	अध्यक्ष
2. अधिष्ठाता- कला संकाय	सदस्य
3. अधिष्ठाता- वाणिज्य संकाय	"
4. अधिष्ठाता- विधि संकाय	"
5. अधिष्ठाता- विज्ञान संकाय	"
6. अधिष्ठाता- शिक्षा संकाय	"
7. अध्यक्ष- हिन्दी विभाग	"
8. अध्यक्ष- उर्दू विभाग	"
9. अध्यक्ष- दर्शनशास्त्र विभाग	"
10. अध्यक्ष- प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग	"
11. अध्यक्ष- भूगोल विभाग	"
12. अध्यक्ष- विधि विभाग	"
13. अध्यक्ष- भौतिकी विभाग	"
14. अध्यक्ष- रसायनशास्त्र विभाग	"
15. अध्यक्ष- प्राणिविज्ञान विभाग	"
16. अध्यक्ष- रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग	"
17. अध्यक्ष- गृहविज्ञान विभाग	"
18. अध्यक्ष- जैव प्रौद्योगिकी विभाग	"
19. अध्यक्ष- इलेक्ट्रानिक्स विभाग	"
20. अध्यक्ष- कम्प्यूटर साइंस विभाग	"
21. प्रो० रामदरश राय, हिन्दी विभाग	"
22. प्रो० कमलेश कुमार गुप्ता, हिन्दी विभाग	"
23. प्रो० दीपक प्रकाश त्यागी, हिन्दी विभाग	"
24. प्रो० सुनीता मुर्मू, अंग्रेजी विभाग	"
25. प्रो० गौरहरि बेहरा, अंग्रेजी विभाग	"
26. प्रो० शीतला प्रसाद सिंह, प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग	"
27. प्रो० प्रज्ञा चतुर्वेदी, प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग	"
28. प्रो० श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी, राजनीतिविज्ञान विभाग	"
29. प्रो० एस०के० दीक्षित, भूगोल विभाग	"
30. प्रो० रामबरन पटेल, भूगोल विभाग	"
31. प्रो० शिवाकान्त सिंह, भूगोल विभाग	"
32. प्रो० अवधेश कुमार तिवारी, वाणिज्य विभाग	"
33. प्रो० रवि प्रताप सिंह, वाणिज्य विभाग	"
34. प्रो० अजेय कुमार गुप्ता, वाणिज्य विभाग	"
35. प्रो० संजीत कुमार गुप्ता, वाणिज्य विभाग	"
36. प्रो० अनिल कुमार यादव, वाणिज्य विभाग	"
37. प्रो० शान्तनु रस्तोगी, भौतिकी विभाग	"
38. प्रो० लल्लन यादव, भौतिक विभाग	"
39. प्रो० रविशंकर सिंह, भौतिकी विभाग	"
40. प्रो० ओ०पी० पाण्डेय, रसायनशास्त्र विभाग	"
41. प्रो० उनेश नाथ त्रिपाठी, रसायनशास्त्र विभाग	"
42. प्रो० आफशा सिद्धिकी, रसायनशास्त्र विभाग	"

43. प्रो० अशोक कुमार तिवारी, रसायनशास्त्र विभाग	..
44. प्रो० दिनेश कुमार सिंह, प्राणिविज्ञान विभाग	..
45. प्रो० अजय सिंह, प्राणिविज्ञान विभाग	..
46. प्रो० बदरे आलम अंसारी, प्राणि विज्ञान विभाग	..
47. प्रो० वीना बत्रा कुशवाहा, प्राणि विज्ञान विभाग	..
48. प्रो० रविकान्त उपाध्याय, प्राणि विज्ञान विभाग	..
49. प्रो० एच०एस० शुक्ला, गणित एवं सांख्यिकी विभाग	..
50. प्रो० हरिशरण, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग	..
51. प्रो० सतीशचन्द्र पाण्डेय, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग	..
52. प्रो० हर्ष कुमार सिन्हा, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग	..
53. प्रो० प्रदीप कुमार यादव, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग	..
54. प्रो० विनोद कुमार सिंह, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग	..
55. प्रो० श्रीनिवास मणि त्रिपाठी, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग	..
56. प्रो० शोभा गौड़, शिक्षाशास्त्र विभाग	..
57. प्रो० शरद कुमार मिश्रा, जैव प्रौद्योगिकी विभाग	..
58. डॉ० जितेन्द्र मिश्र, उपाचार्य-विधि विभाग	..
59. डॉ० जे०ए०वी० प्रसादा राव, उपाचार्य- जैव प्रौद्योगिकी विभाग	..
60. डॉ० सरोज श्रीवास्तव, भूगोल विभाग, डी०ए०वी० कालेज, गो०	..
61. डॉ० भैरव शंकर उपाध्याय, मटलार, देवरिया	..
62. विश्वविद्यालय ग्रन्थालयी	..
63. कुलसचिव	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने विद्या परिषद् के सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया एवं सहयोग करने की अपेक्षा की। तत्पश्चात् निम्नलिखित कार्यसूची पर विचार किया गया-

1 (क) : विद्या परिषद् ने दिनांक 25 सितम्बर, 2016 को होने वाले दीक्षान्त समारोह में दी जाने वाली पी-एच०डी० उपाधियाँ एवं विभिन्न कक्षाओं की अन्य उपाधियों की सूचना तथा उसके अनुमोदन पर विचार किया।

सम्यक् विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने दिनांक : 25 सितम्बर, 2016 को होने वाले 35वें दीक्षान्त समारोह में संलग्न सूची के अभ्यर्थियों को पी-एच०डी० उपाधि प्रदान किये जाने तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों/कक्षाओं के सत्र 2015-16 के अभ्यर्थियों को उपाधियाँ दिये जाने का निर्णय लेते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया।

1 (ख) अध्यक्ष की अनुमति से निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार किया गया-


क. विद्या परिषद् ने प्रो० एच०एस०शुक्ल, संयोजक, दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी समारोह समिति द्वारा प्रस्तावित "दीनदयाल उपाध्याय चेयर" स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया।

सम्यक् विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने प्रो० एच०एस०शुक्ल, संयोजक, दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी समारोह समिति द्वारा प्रस्तावित "दीनदयाल उपाध्याय चेयर" स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया।

ख. विद्या परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 10.08.2016 के बिन्दु संख्या-1 द्वारा सेमेस्टर प्रणाली के अध्यादेश में संशोधन/परिवर्धन हेतु गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने सेमेस्टर प्रणाली के संशोधित/परिवर्धित अध्यादेश को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

  
कुलसचिव

  
कुलपति



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय  
सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत परास्नातक उपाधि हेतु संशोधित अध्यादेश 2016 (दि: 16/09/2016)

1. प्रस्तावना: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं शिक्षा संकाय के अन्तर्गत संचालित समस्त परास्नातक उपाधि पाठ्यक्रम कुल चार सेमेस्टर के होंगे। प्रत्येक सेमेस्टर में प्रति सप्ताह तीस घण्टा और शिक्षण के तरह सप्ताह की शिक्षण अवधि निम्नानुसार होगी:

2. सेमेस्टर की कालावधि:

प्रथम एवं तृतीय (विषम) सेमेस्टर	- जुलाई से नवम्बर तक
द्वितीय एवं चतुर्थ (सम) सेमेस्टर	- दिसम्बर से अप्रैल तक

3. प्रवेश: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सम्बन्धित विषय में त्रिवर्षीय स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी प्रवेश के लिए अर्ह होंगे जिसमें प्रवेश इसकी प्रवेश परीक्षा परिणाम के श्रेष्ठताक्रम के अनुसार होगा।

4. परीक्षा: (i) प्रथम एवं तृतीय (विषम) सेमेस्टर में प्रविष्ट विद्यार्थी दोनों सेमेस्टर (सम व विषम) में शिक्षण प्राप्त करेंगे और प्रवेश के समय दो सेमेस्टर के शिक्षण शुल्क जमा करेंगे। सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं में अलग-अलग न्यूनतम पचहत्तर प्रतिशत (75%) अनिवार्य उपस्थिति होने पर ही परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकेंगे। प्रथम सेमेस्टर के सभी प्रश्नपत्रों की परीक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थी का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। किसी सेमेस्टर की प्रायोगिक/मौखिकी/प्रोजेक्ट की छूटी परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय के नियमानुसार मात्र एक अवसर और दिया जायेगा। किसी सेमेस्टर में उत्तीर्ण भूतपूर्व विद्यार्थी (Ex-Student) को उक्त सेमेस्टर की परीक्षा नहीं देनी होगी। उसके उस सेमेस्टर के अंक संरक्षित (Reserve) रहेंगे, जिसे वह उत्तीर्ण कर चुका है। एक या अधिक सेमेस्टर उत्तीर्ण अभ्यर्थी अधिकतम एक वर्ष के अन्तराल तक ही (किसी अन्य पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में पंजीकृत न होने व/का शपथपत्र प्रस्तुत कर) अगले सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

(ii) पाठ्यक्रम के प्रत्येक प्रश्नपत्र (मौखिकी/प्रायोगिक सहित) का पूर्णांक 100 अंक होगा, परन्तु विज्ञान संकाय में सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र 50 अंक तथा प्रायोगिक प्रश्नपत्र 100 अंक के होंगे। सेमेस्टर उत्तीर्ण करने के लिए प्रत्येक सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 26 प्रतिशत अंकों के साथ सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों के योग में न्यूनतम 36% तथा मौखिकी/प्रायोगिक/प्रोजेक्ट कार्य में भी (अलग से) न्यूनतम 36% अंक पाना अनिवार्य होगा।

(iii) ऐसे विद्यार्थी जो सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों में किसी भी एक प्रश्नपत्र में निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक छब्बीस प्रतिशत (26%) न प्राप्त किये हों, किन्तु उस सेमेस्टर के सभी सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों के योग का छत्तीस प्रतिशत (36%) या अधिक प्राप्त किये हों, वे अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत हो सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर की नियमित परीक्षा के साथ पिछले सेमेस्टर के उस प्रश्नपत्र जिनमें छब्बीस प्रतिशत (26%) से कम अंक मिले हों, की भी परीक्षा देनी होगी और इस प्रकार प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक छब्बीस प्रतिशत (26%), प्राप्त करना होगा।

(iv) ऐसे विद्यार्थी जो सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों में से प्रत्येक में 26% या अधिक अंक प्राप्त किये हों, किन्तु उस सेमेस्टर के सभी सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों के योग का 36% न प्राप्त किये हों, वे भी अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत हो सकेंगे। इन्हें भी आगामी सेमेस्टर के नियमित परीक्षा के साथ पिछले सेमेस्टर के अधिकतम दो प्रश्नपत्रों का चयन कर परीक्षा देनी होगी और इस प्रकार सम्बन्धित सेमेस्टर के सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों के योग का न्यूनतम 36% अंक प्राप्त कर लेना होगा।

(v) यदि किसी विद्यार्थी का किसी भी सेमेस्टर परीक्षा में बैक पेपर रहता है, तो वह अगले सेमेस्टर की परीक्षा के साथ उत्तीर्ण कर सकता है। यह सुविधा प्रत्येक सेमेस्टर में मात्र एक बार ही दी जायेगी। इस अवसर में भी अनुत्तीर्ण रहने के बाद विद्यार्थी आगामी परीक्षा में भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। यह सुविधा भी प्रत्येक सेमेस्टर में मात्र एक बार ही दी जायेगी।


(vi) प्रत्येक सेमेस्टर का परीक्षाफल 'उत्तीर्ण', 'बैक पेपर' या 'अनुत्तीर्ण', जैसी स्थिति हो, घोषित होगा। प्रथम व तृतीय सेमेस्टर के बैक पेपर जो उपर्युक्त प्रस्तर 4(iii) व 4(iv) के अनुसार दिये गये हों, का परीक्षाफल क्रमशः द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षाफल के साथ ही घोषित होगा। प्रथम/तृतीय सेमेस्टर उत्तीर्ण किन्तु द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित न होने वाले विद्यार्थी अगले वर्ष द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर में शिक्षण प्राप्त कर उसकी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।


(vii) अन्तिम परीक्षाफल सभी चार सेमेस्टर के प्राप्तांकों के योग के आधार पर निम्नलिखित मानक के अनुसार घोषित किया जायेगा:

प्रथम श्रेणी	: पूर्णांक का 60% या उससे अधिक अंक प्राप्तांक पर;
द्वितीय श्रेणी	: पूर्णांक का 48% या उससे अधिक किन्तु 60%से कम अंक प्राप्तांक पर;
तृतीय श्रेणी	: पूर्णांक का 36% या उससे अधिक किन्तु 48%से कम अंक प्राप्तांक पर।


  
16/9/16



Page 1 of 1  






  
16/9.16


क्र.सं.	पाठ्यक्रम/विषय	पाठ्यक्रम	संख्या	योग
1	स्नातक कला संकाय	बी0ए0	1735	1735
2	स्नातक विज्ञान संकाय	बी0एस-सी0	272	332
3		गृह विज्ञान	32	
4		बी0सी0ए0	28	
5		बी0काम0	379	
6	बी0बी0ए0	37		
7	स्नातक कृषि संकाय	बी0एस-सी0 (कृषि)	0	0
8	स्नातकोत्तर कला संकाय (वार्षिक एवं सेमेस्टर)	दृश्य कला	39	2808
9		मनोविज्ञान	29	
10		संस्कृत	113	
11		मंच कला	7	
12		भूगोल	27	
13		इतिहास	163	
14		प्रा0 इतिहास	122	
15		उर्दू	223	
16		अंग्रेजी	250	
17		समाज शास्त्र	979	
18		दर्शन शास्त्र	14	
19		हिन्दी	418	
20		राज0शा0	424	
21		स्नातकोत्तर शिक्षा संकाय	शिक्षाशास्त्र	
22	स0शि0 एवं प्रसार कार्य		13	
23	स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय	रक्षा अध्ययन	31	360
24		रसायन शास्त्र	53	
25		गणित	91	
26		प्राणि विज्ञान	40	
27		वनस्पति विज्ञान	35	
28		भौतिकी	41	
29		जैवप्रौद्योगिकी	12	
30		इलेक्ट्रानिक्स	10	
31		सांख्यिकी	9	
32		पर्यावरण विज्ञान	17	
33		माइक्रोबायोलोजी	11	
34		गृह विज्ञान	10	
35	स्नातकोत्तर कृषि संकाय	एम0एस-सी0 (कृषि)	0	0
36	स्नातकोत्तर वाणिज्य संकाय	अर्थशास्त्र	3	825
37		एम0बी0ए0	42	
38		एम0काम0	780	
39	स्नातक चिकित्सा संकाय	एम0बी0बी0एस0	0	0
40	स्नातक विधि संकाय (2015)		129	129
41	बी0एड0 (2015)		105	105
42	स्नातक विज्ञान संकाय (बी0सी0ए0) 2015		11	11
कुल योग				6776

Research Section, D.D. U. G.P. Univ., Gkp.

35<sup>th</sup> Convocation - 25/09/16

Facultywise Ph.D. Degree Awarded:-

<u>FACULTY</u>	<u>MALE</u>	<u>FEMALE</u>	<u>TOTAL</u>
1. Arts	29	29	58
2. Science	12	13	25
3. Commerce	05	02	07
4. Education	01	—	01
5. Agriculture	01	—	01
Total	48	44	92

  
25/09/16  
Incharge, Research.

D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur  
Research Section

35<sup>th</sup> Convocation - 25/09/16

Faculty and Subjectwise Ph.D. Degree Awarded :-

I. FACULTY OF ARTS -	Male	Female	Total
1. Hindi	06	12	18
2. Sanskrit	01	05	06
3. Ancient History, Arch. & Sculpture	04	01	05
4. History	—	01	01
5. Philosophy	02	01	03
6. Psychology	01	03	04
7. Sociology	03	—	03
8. Political Science	06	01	07
9. Fine Arts	—	01	01
10. Geography	06	04	10
<b>II FACULTY OF SCIENCE -</b>			
1. Physics	01	—	01
2. Chemistry	01	03	04
3. Zoology	01	07	08
4. Botany	03	02	05
5. Computer Science	02	—	02
6. Defense Strategic Studies	03	—	03
7. Biotechnology	01	01	02
<b>III FACULTY OF EDUCATION -</b>			
1. Education	01	—	01
<b>IV FACULTY OF COMMERCE -</b>			
1. Commerce	02	02	04
2. Business Administration	03	—	03
<b>V FACULTY OF AGRICULTURE -</b>			
1. Genetics & Plant Breeding	01	—	01
<b>Grand Total</b>	<b>48</b>	<b>44</b>	<b>92</b>

*(Signature)*  
25/9/16  
Incharge, Research